न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 44/2018

1. मोहनलाल
2. जगदीश
3. बनवारी
4. भगवानलाल पुत्रान स्व0 श्री दुर्गालाल जाति ब्राम्हण निवारी देहमोली तहसील करौली
5. काशी बेवा स्व0 श्री दुर्गालाल जाति ब्राम्हण निवारी देहमोली तहसील करौली
6. विरमा पुत्री स्व0 श्री दुर्गालाल पत्नी गिर्राज जाति ब्राम्हण निवारी श्यारोली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
7. किन्दूरी पुत्री किशोर पत्नी रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवारी रासेडी तहसील व जिला करौली।

अपीलांटान

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र मनोहर
2. सत्तो पुत्र अमरचन्द
3. मोहन पुत्र अमरचन्द
4. राममूर्ति पुत्र अमरचन्द
5. हरिओम उर्फ भूरा पुत्र अमरचन्द
6. मदन मोहन पुत्र अमरचन्द
7. घनश्याम पुत्र किरोडी
8. संजय पुत्र घनश्याम
9. समय पुत्र घनश्याम
10. पंकज पुत्र घनश्याम
11. बालकृष्ण पुत्र घनश्याम जाति चतुर्वेदी निवासी रतनपुर, तहसील व जिला करौली
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली।

रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली
मु0न0 90/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2017)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री लीलाधर चतुर्वेदी
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल

निर्णय

दिनांक 25.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 90/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान ने एक [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायलान व प्रतिवादी न0 12 के [illegible] खातेदारी और कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा [illegible] 2 वासमूल दीगर आराजीयात के ग्राम दहमोली पटवार हल्का सायपुर तहसील करौली मे स्थित है। जिस आराजी मे सायलान का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी न0 12 का 1/4 हिस्सा है। गैरसायलान के किसी प्रकार के हक हकूक खातेदारी काश्तकारी के आज तक उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

आराजी ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा मे नही रहे है और ना ही आज है। इस साल उक्त आराजी मे हम सायलान एवं प्रतिवादी न0 12 शामिल मे गेहूँ बाजरा सरसो ग्वार की फसल काश्त की है और लाभ प्राप्त किया है। उक्त आराजी का शुरू से आज तक हम अपीलांट/सायलान एवं प्रतिवादी न0 12 लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। गैरसायलान कानून के निडर सहजोर गिरोहवद्व व्यक्ति है। और अपनी जिस्मानी एवं लठठ की ताकत से येनकेन प्रकार उक्त आराजी ख0न0 285 को हम सायलान/अपीलांट की गरीबी एवं शीतलपन का नाजायज फायदा उठाकर छीनना चाहते है। दिनांक 20.4.16 को प्रातः हाथो मे लाठी फावडी दांतरी लेकर आये और कहा कि इस आराजी पर पैर नही रखना नही तो बहुत बुरा होगा। क्योकि अब हम इस आराजी पर काश्त करेगे। सायलान/अपीलांट ने मना किया तो नाराज होकर मारने पर आमादा हो गये। ऐलानिया कहा कि हम तो तुम्हारी खातेदारी को कुछ नही जानते है। हम तो अगली फसल तुमको काश्त नही करने देगे तथा इस आराजी से बेदखल करके रहेगे। यदि गेरसायलान द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया तो अपीलांट/सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त अनाधिकृत कत्य न करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोनो ही पक्षो को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर यह अपील अपीलांट/सायलान द्वारा इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन न करके कानूनी भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश आरवेट्री एवं परवर्सी होने के कारण काबिल मनसुख है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करनें से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित आराजी ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा तहसील करौली के खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अपीलाट के नाम दर्ज है। उक्त खातेदारी इन्द्राजात होने के संबंध मे प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात मे रेस्पो0 के कोई हक हकूक नही है ना ही राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 के नाम दर्ज है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ताफैसला दावा दोनो पक्षो को पाबन्द किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात

सहायक अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पर गौर नही किया गया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। जबकि रेस्पो0 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है ना ही रिकार्ड उनके नाम दर्ज है। तथा प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रेस्पो0 के हक मे है। इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ के बारे मे कोई विवेचना नही की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस इकरारनामे पर भरोसा किया है वह विधि सम्मत नही है। अन रजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर किसी प्रकार के कोई कानूनी हकूक रेस्पो0 को प्राप्त नही होते है। ना ही उक्त इकरारनामा कूननन साक्ष्य मे पढने योग्य होता है। अन रजिस्टर्ड इकरारनामे को विधि अनुसार कानूनी मान्यता नही है। इकरारनामे के आधार पर किसी प्रकार के हकूको का विनिश्चय करने का अधिकार नही होता है। रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया केस अपीलांट के पक्ष मे प्रकट होता है व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा स्थित ग्राम दहमोली के कब्जे काश्त मे सायलान के किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान के पक्ष मे सुविधा का संतुलन नही माना गया है। विवादित आराजी अपीलांट/सायलान के पिता दुर्गालाल से दिनांक 24.4.92 को राशि 44000/—रूपये जरिये इकरारनामा खरीदी गई है। इस इकरारनामे के Performance का दावा सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है। उक्त किये गये इकरारनामे के आधार पर अपीलांट अब बयनामा कराने से मना कर रहे है। अपीलांट का भूमि पर कोई कब्जा नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वार जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि अनुरूप है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांटान को किसी प्रकार की कोई धमकी आदि नही दी गई है। दुर्गा द्वारा रेस्पो/गेरसायलान को ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा स्थित ग्राम दहमोली को अपने हिस्से एवं कब्जे खातेदारी की बताते हुए हम रेस्पो0 [illegible] एवं घनश्याम को बेचान किया है। तथा कब्जा दिया गया है। जिस पर हम रेस्पो0/[illegible] काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर सायल एवं प्रतिवादी [illegible] कोई [illegible] नही है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांटान से बयनामा पंजीयन कराने को कहा तो उनके [illegible] मना करने पर झूठा वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। दुर्गालाल द्वारा धन राशि बेचान कीमत गैरसायल अमरचंद व घनश्याम से नकद प्राप्त की गई है व कब्जा दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गया है। वह विधि अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 वाके ग्राम दहमोली तहसील करौली के खतौनी संख्या 96 पर ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा राजपाल पुत्र गुटका राहिन एस.वी.आई. शाखा करौली हिस्सा 1/4 मोहनलाल ,जगदीश,बनवारी पि0दुर्गालाल कॉशी बेबा दुर्गालाल बिरमा पुत्री दुर्गालाल हिस्सा 5/24 हि.ब.राहिन एस.वी.आई. शाखा करौली भगवान लाल पुत्र दुर्गालाल हिस्सा 1/24 चौथी पुत्री किशोर हिस्सा 1/4 किन्दूरी पुत्री किशोर हिस्सा 1/4 राहिन एस.वी. आई. शाखा करौली जाति ब्राहम्ण सा.देह खाातेदार के नाम अंकित है। इसका तात्पर्य है कि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.7.17 मे रिकार्डेड खातेदार को मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। इसका आधार पूर्व मे हुए बेचान इकरारनामा को लिया है। इकरार नामा के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हक हकूक प्रदत्त नही किये जाते है। रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे प्रकट होता है। सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है। रिकार्डेड खातेदार को विवादित आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का आदेश त्रुटी युक्त है जो कि रिकार्डेड खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित रखता है। खातेदार के अधिकारो की संरक्षा हेतु अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 90/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2017 को अपास्त किया जाता है। रेस्पो0/प्रतिवादी को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 285 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम दहमोली तहसील करौली मे अपीलांट के हिस्से मे कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25.2.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 14:43:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: